



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष १२, अंक २२]

सोमवार, जून १, २०२६/ज्येष्ठ ११, शके १९४८

[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३३

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)
वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, MAHARASHTRA STATE
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Madame Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,
Mumbai 400 032, Dated 01st June, 2026.

NOTIFICATION

No. BYE-2026/CR.118 /26/33 Election-1.— In pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56, 21 and sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following are published for General Information :—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, Dated the 1st June, 2026
Jyaishtha 11, 1948 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 100/CS-MT/02/2026 (1).— WHEREAS, the seat of Smt. Sunetra Ajit Pawar, in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Maharashtra, has become vacant on 06.05.2026 by the reason of her resignation, before the expiration of her term of office which was up to and including 04.07.2028; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby,—

- (A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of Maharashtra to elect, before 20th June, 2026 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) **appoints**, with respect to the said election;
- the 08th June, 2026 (Monday), as the last date for making nominations;
 - the 09th June, 2026 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - the 11th June, 2026 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - the 18th June, 2026 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - the 20th June, 2026 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) **fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

SUMAN KUMAR DAS,
Secretary to the
Election Commission of India.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

M. R. PARKAR,
Deputy Secretary & Joint Chief Electoral Officer,
Maharashtra State.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक 1 जून, 2026
ज्येष्ठ 11, 1948 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/रा.स.-महाराष्ट्र/02/2026 (1).— यतः, महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार का स्थान जिनकी पदावधि 04.07.2028 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देने के कारण 06.05.2026 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा-

(अ) महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 20 जून, 2026 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्विनिर्देशन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

- | | |
|---|---|
| (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख | — 08 जून, 2026 (सोमवार); |
| (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख | — 09 जून, 2026 (मंगलवार); |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख | — 11 जून, 2026 (गुरुवार); |
| (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | — 18 जून, 2026 (गुरुवार); और |
| (ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | — 20 जून, 2026 (शनिवार); नियत करता है; और |

(इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

म. रा. पारकर,
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, Dated the 1st June, 2026
Jyaishtha 11, 1948 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 100/CS-MT/02/2026 (2).— In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of the State of Maharashtra, hereby,—

(i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and

(ii) appoints the officers, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer in the performance of her functions;

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in the State in pursuance of the Commission's Notification, published in the *Gazette* of India on 01st June, 2026: -

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	Officers Appointed as Assistant Returning Officers
(1)	(2)
Smt. Meghana Talekar, Secretary-2, Maharashtra Legislature Secretariat	1. Shri Mohan Sadashiv Kakad, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat 2. Shri Suresh Nilkanthrao Mogal, Under Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat

By order,

SUMAN KUMAR DAS,
Secretary to the
Election Commission of India.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

M. R. PARKAR,
Deputy Secretary & Joint Chief Electoral Officer,
Maharashtra State.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक 1 जून, 2026
ज्येष्ठ 11, 1948 (शक)**अधिसूचना**

सं. 100/रा.स.-महाराष्ट्र/02/2026(2).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा तारीख 01 जून, 2026 को राज्य के **शासकीय राजपत्र** में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में एतद्द्वारा,—

(I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और

(II) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्रीमती मेघना तलेकर, सचिव-2, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय	1. श्री. मोहन सदाशिव काकड, उप सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय 2. श्री. सुरेश निलकंठराव मोगल, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय

आदेश से,

सुमन कुमार दास,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

म. रा. पारकर,उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य।

क्रमांक : बीवायई-२०२६/प्र.क्र. ११८/२६/३३ निवडणूक (१)

सामान्य प्रशासन विभाग

कक्ष क्र. ६११, ६वा मजला, मादाम कामा मार्ग,

हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय विस्तार, मुंबई -३२.

दिनांक : १ जून, २०२६.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित:—

- (१) सचिव (२) तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- (२) उप सचिव तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- (३) अवर सचिव तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- (४) निवडनस्ती.

म. रा. पारकर ,

उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य.